न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा।
बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 6 / 2018 / दावा

प्रद्युम्न पुत्र श्री धन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम देवली तहसील कनवास जिला कोटा।
—वादी—

—बनाम—

राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार कनवास जिला कोटा। —प्रतिवादी—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—

1. श्री विनोद कुमार गौतम एडवोकेट,
2. पैरोकार सरकार

—:: निर्णय ::—— दिनॉक :— 01.12.2020

वादी ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी के एकल खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 209 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म चाही तृतीय आराजी वाके ग्राम देवली तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित है जिसकी पुष्टि नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 से होती है। वादग्रस्त आराजी में रिज्यूम माफी शब्द जुडा हुआ है। उक्त आराजी माफी की आराजी थी जो जागीर उन्मूलन के समय रिज्यूम माफी शब्द को हटाकर वादी के पूर्वजों को पूर्ण खातेदार घोषित कर दिया था किन्तु सहवन से रिज्यूम माफी शब्द आज भी खाते पर विद्यमान होने से वादी को विकास कार्य हेतु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने व कृषिकार्य में विकास करवाने तथा घरेलू जरूरतों को पूरा करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जिससे वादी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वादी द्वारा खाते से रिज्यूम शब्द हटाने के लिए तहसीलदार साहब से कई मर्तबा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करने तथा न्यायालय में कार्यवाही करने के निर्देश देने पर वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वादी माननीय न्यायालय में वाद पेश कर खाते से रिज्यूम माफी शब्द हटाये जाने का वादपत्र सम्मानीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हो गया है। वादी को उक्त कार्य की शीघ्रता होने से लीगल नोटिस राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। वादी द्वारा तहसीलदार साहबक को दिये प्रार्थना पत्र को लीगल नोटिस मानते हुये [illegible] धारा 80(2)सी.पी.सी. वाद सरकार के विरूद्ध पेश करने की अनुमति दी जावे। वादकारण [illegible] तहसीलदार साहब को रिज्यूम माफी शब्द हटाने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर भी [illegible] से उत्पन्न हुआ। वादपत्र में वर्णित आराजी ग्राम देवली तहसील [illegible] में स्थित होने से मा[illegible] न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः वा[illegible]स्तुत कर निवेदन है कि [illegible] देवली पटवार हल्का देवली तहसील कनवास की खाता संख्या 251 के खसरा नंबर 209 रकबा [illegible] हैक्टर आराजी पर रिज्यूम माफी शब्द हटाये जाने हेतु वादी के पक्ष में डिकी पारित किये जाने का सादर आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

उक्त वाद प्रस्तुत होने के उपरान्त बाद तलबी प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से लैण्ड होल्डर तहसीलदार कनवास द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी से रिज्यूम माफी शब्द को हटाने के संबंध में सहमति व्यक्त की है। बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपनी लिखित बहस में जाहिर किया कि मूलतः वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नंबर 209 रकबा 2.43 हैक्टर साबिक खसरा नंबर 148 से बना है तथा नकल जमाबंदी सवंत् 2012–15 में वादग्रस्त आराजी ''माफी पुण्यर्थ रामगोपाल बेटा रामचन्द्र जात ब्राह्मण वास कोटा'' के नाम दर्ज खाता थी जिसका अंकन जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में दर्ज था तथा कॉलम संख्या 12 में वादी के दादाजी का नाम ''जैळी मथुरालाल'' अंकित था। चूंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त वादी के दादाजी मथुरालाल जी का बदस्तूर था जिसके कारण धारा 19 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानानुसार वादी के दादाजी स्व.मथुरालाल पुत्र श्री भागीरथ जी को वादग्रस्त आराजी पर पूर्ण खातेदारी अधिकार हांसिल हो गये थे। नकल सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2013–32 के कॉलम संख्या 4 में भी वादग्रस्त आराजी में वादी के दादाजी मथुरालाल जी का नाम दर्ज खाता है। उसके पश्चात् धारा 19 टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानान्तर्गत इन्तकाल संख्या 32 दिनॉक 20.06.1963 से वादी के दादाजी स्व.मथुरालाल जी को वादग्रस्त आराजी पर पूर्ण खातेदारी अधिकार प्रदान कर देने से वादग्रस्त आराजी मथुरालाल जी के नाम खाते दर्ज हुई जिसका अंकन नकल जमाबंदी सवत् 2016–19 में दर्ज है। इसके पश्चात् की नकल जमाबंदी सवंत् 2028–31 के खाता संख्या 181 में, नकल जमाबंदी संवत् 2036–39 के खाता संख्या 204 में, नकल जमाबंदी संवत् 2041–44 खाता संख्या 228 में, नकल जमाबंदी संवत् 2045–48 के खाता संख्या 241 में, नकल जमाबंदी संवत् 2045–48 के खाता संख्या 241 व नकल जमाबंदी संवत् 2045–52 के खाता संख्या 255 में वादग्रस्त आराजी वादी के दादाजी मथुरालाल जी के नाम अंकित थी जिसमें रिज्यूम माफी का कोई नोट अंकित नहीं था। इस प्रकार से जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के बाद वादग्रस्त आराजी पर वादी के दादाजी स्व.मथुरालाल जी को वादग्रस्त आराजी पर पूर्ण खातेदारी अधिकार हॉसिल हो चुके थे तो वादग्रस्त आराजी पर 'रिज्यूम माफी' का नोट अंकित किया जाना कतई विधिसम्मत नहीं था।

वकील वादी द्वारा अपनी लिखित बहस में न्यायालय का इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नंबर 148 का कुल रकबा 51 बीघा 13 बिस्वा थां जिसमें से वादी के दादाजी मथुरालाल जी द्वारा रजिस्टर्ड दानपत्र से 27 बीघा आराजी अपनी पुत्री शान्तिबाई पुत्री मथुरालाल जाति जाट को दान कर दी थी जिसकी अनुपालना में विक्रीत आराजी खसरा नंबर 148/2 रकबा 27 बीघा के रूप में इन्त[illegible]या 310 दिनॉक 30.06.83 से दानग्रहिता शान्तिबाई के खाते दर्ज हुई है जिसमें 'रिज्यूम [illegible]' [illegible] का कोई अंकन नहीं रहा है। उक्त दानशुदा आराजी खसरा नंबर 148/2 रकबा 27 बीघा [illegible] संवत् 2058 द्वारा नये खसरा नंबर 206 रकबा 4.37 हैक्टर कायम किया गया [illegible] शान्तिबाई द्वारा खसरा नंबर 206 की 2.61 हैक्टर पूर्वी आराजी वादी के खाते दर्ज करवा दी है त[illegible]ष आराजी खसरा नंबर 1165/206 रकबा 1.76 हैक्टर शान्तिबाई द्वारा अन्य के खाते बंधवा दी है। उक्त दोनों ही खसरों की वर्तमान जमाबंदी सवंत् 2074–77 की खतोनी संख्या 132 व 221 में उक्त आराजी में 'रिज्यूम माफी' का नोट अंकित नहीं है। साथ ही वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नंबर 148 से बने नये खसरा नंबर 206 रकबा 4.37 हैक्टर आराजी के संबंध में पूर्व में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद द्वारा मिसल

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:22 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 108/2012 में निर्णय–डिक्री दिनॉक 10.01.2013 को पारित कर रिकार्ड से "रिज्यूम माफी" का नोट हटाने के आदेश प्रसारित किये हुये हैं। इस प्रकार से जब मूल खसरा के नये खसरा नंबरान में से खसरा नंबर 206 के संबंध में न्यायालय द्वारा "रिज्यूम माफी" का नोट हटाने के आदेश पूर्व में ही प्रसारित किये हुये हैं तो वादग्रस्त आराजी के रेकार्ड से भी उक्त नोट का हटाया जाना न्यायोचित है। अतः माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी से "रिज्यूम माफी" शब्द को हटाये जाने के आदेश प्रसारित फरमाये जावें। बाद बहस पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान की रेकार्ड, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों एवं वादी की लिखित बहस पर सूक्ष्मतम अवलोकल करने के उपरान्त दावा वादी स्वीकार करना उचित समझता हूँ।

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम देवली तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 209 रकबा 2.43 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड से "रिज्यूम माफी" शब्द हटाया जावे। तहसीलदार कनवास द्वारा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 01.12.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:22 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदाल उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा।

बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 6/2018/दावा

प्रद्युम्न पुत्र श्री धन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम देवली तहसील कनवास जिला कोटा।
–वादी–

–बनाम–

राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार कनवास जिला कोटा। –प्रतिवादी–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख फैसला दिनांक 01.12.2020 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री उपखण्ड अधिकारी सॉगोद बहाजरी श्री विनोद कुमार गौत्तम एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू श्री पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम देवली तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 209 रकबा 2.43 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड से "रिज्यूम माफी" शब्द हटाया जावे। तहसीलदार कनवास द्वारा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज —✕— मुबलिग —✕— बाबत —✕— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह —✕— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक —✕— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 01.12.2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पैसै	मुददायलह	रूपया	पैसै
स्टाम्प अर्जी		स्टाम्प	अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)